

प्रेस विज्ञप्ति

23/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) जालंधर के न्यायालय में 22.12.2025 के आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अतहर सईद की सजा हासिल की है।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी अतहर सईद और अन्य के खिलाफ सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि अतहर सईद हेरोइन की सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और इस तरह अपराध के आगम (पीओसी) उत्पन्न हुए। वह हेरोइन की तस्करी और बाद में दवाओं की बिक्री और ड्रग मनी के संग्रह में शामिल था।

इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.04.2016 को दो स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इसके अलावा, 17 लाख रुपये की चल संपत्ति, जिसमें अतहर सईद से जब्त की गई नकदी शामिल है, को अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 21.03.2018 के तहत मामले में कुर्क किया गया था।

माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने अतहर सईद को तीन साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने के भुगतान के डिफ़ॉल्ट में, अभियुक्त को तीन महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, पीओसी के रूप में जब्त किए गए 17 लाख रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया था